न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—6/2018 वाद पत्र

उनवान

1. अहिंसा प्रोसेसर्स ऑफ इकाई श्री भरका इण्डिया प्रा0 लि0 बाजार नम्बर 2 भीलवाड़ा जरिये डायरेक्टर सौरभ कोठारी पुत्र श्री चन्द्र सिंह कोठारी आयु वयस्क

वादी

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रा0 कार्यालय 6 ए 1 आर0सी0व्यास कॉलोनी भीलवाडा जरिये परियोजना निदेशक
2. सद्भाव प्रा0 लि0 कम्पन्नी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 टोल नाका मुझरास, भीलवाड़ा तह0 एंव जिला भीलवाड़ा जरिये प्रबांक
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा भीलवाड़ा (राज.)

—प्रतिवादीण

वादपत्र बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ताः—

1.श्री शोभागमल कुमावत वादी अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 18/6/25

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री शोभागमल कुमावत द्वारा दिनांक 22.01.2018 को वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को रजिस्टर कम संख्या 6/2018 पर दर्ज किया गया तथा विधिक प्रकिया प्रारम्भ की गई।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि ग्राम मुझरास पटवार हल्का मुझरास भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में आराजी संख्या 66/1 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें से 2 बीघा 19 बिस्वा 11 बिस्वांसी भूमि विपक्षी संख्या 1 ने अवाप्त की थी।

विपक्षी संख्या 01 एवं 02 ने दुराशय से वादी की शेष बची हुई आराजी के दक्षिण की ओर सड़क के लगते हुये दीवार बनाकर वादी की आराजी पर आने जाने के अधिकार को समाप्त कर रहे है एवं जबरन वादी की भूमि के फ्रण्ट पर प्लेटफॉर्म व बैठक रूम एवं दीवार जो करीब 80 फीट लम्बी बनाने पर आमदा है, जिससे वादी की आराजी पीछें रह जायेगी व वादी की आराजी रोड़ से कट जायेगी व रोड़ का हक भी समाप्त हो जायेगा व वादी की आराजी की कीमत (वैल्यू) कम हो जायेगी। वादी अपनी आराजियात मे आने जाने के अधिकार से वंचित हो जायेगा व वादी अपनी आराजी के सड़क के उपयोग व उपभोग से वंचित हो जायेगा व प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 द्वारा वादी की भूमि को रोड़ के निर्माण हेतु अधिग्रहण की है, जिसमे किसी प्रकार के बैठक रूम, होटल व प्लेटफॉर्म व दीवार आदि बनाकर वादी को वादी की खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग से वंचित नही किया जा सकता है व न ही प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार एवं कोई आदेश पारित होकर अधिकार प्राप्त नही है। इस कारण से प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद कराया जाना आवश्यक है व प्रतिवादी संख्या 03 लैण्ड होल्डर है, जिसका कर्तव्य है कि अवैध तौर दीवार का कार्य न होने देवे।

दौराने वाद यदि प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 वादग्रस्त आराजी के आगे जबरन दीवार बना देवे तो जरिये आदेशात्मक व्यादेश के दीवार को तोडने का आदेश किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 ने दिनांक 21 जनवरी 2018 को दीवार बनाने की धमकी दी, इस कारण से वादी को बिनायवाद दिनांक 21 जनवरी 2018 से उत्पन्न होकर निरन्तर रूप से जारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है व कानूनन राज्य सरकार के विरूद्व वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 जा0 दी0 के तहत 2 माह की समायावधि का नोटिस दिया जाना आवश्यक है, लेकिन मामला आवश्यक प्रकृति का है व वादी नोटिस देकर समयावधि व्यतीत होने तक इंतजार करेगा तो इससे पूर्व ही प्रतिवादीगण जबरन वादी की भूमि के सामने दीवार आदि बना देगे तो वादी का वाद पेश करना ही निष्फल हो जायेगा व वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण से बिना नोटिस दिये ही वाद पेश करना आवश्यक है। इसके लिये धारा 80 (2) जा0 दी0 का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है।

18/6/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादपत्र मियाद अवधि में वांछित न्यायशुल्क पर पेश किया गया है। वादग्रस्त भूमि ग्राम मुझरास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा की सीमाक्षेत्र में स्थित होने से वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय का है। वादपत्र की ताईद में वादी का शपथ पत्र संलग्न है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को निम्न अनुतोष प्रदान किये जावेः—

1. वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमायी जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 वादी को ग्राम मुझरास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा की आराजी संख्या 66/1 के दक्षिण दिशा की ओर सड़क पर प्रतिवादीगण कोई दीवार न बनावे, न प्लेटफॉर्म, बैठकरूम या अन्य किसी प्रकार का निर्माण कर आराजी की लम्बाई की ओर अवरोध उत्पन्न न करे, न करावे।
2. दौराने वाद यदि प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 वादग्रस्त आराजी के आगे जबरन दीवार बना देवे तो जरिये आदेशात्मक व्यादेश के दीवार को तोड़ने का आदेश दिलाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किये जाने से दिनांक 11.02.2022 को 100/— रूपये की शास्ति पर न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को न्यायहित में पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किये जाने से दिनांक 20.01.2025 को जवाब बंद किया जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। वादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्यवादी में दिनांक 17.03.2025 को शपथ पत्र पेश किया गया तथा प्रतिवादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता के अनुपस्थित रहने से साक्ष्य वादी से प्रतिवादी की जिरह न्यायहित में सुरक्षित रखी गई। प्रतिवादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से दिनांक 27.03.2025 को साक्ष्यवादी से प्रतिवादी जिरह बंद की गई। वादी द्वारा दिनांक 17.03.2025 को वादी की ओर से साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र बतौर साक्ष्य पेश किया गया, जिसकी मुख्य परीक्षा कराई गई तथा वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्नांकित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गयेः—

प्रदर्श— 1 :— जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 की प्रमाणित प्रतिलिपि खाता संख्या नया 7 खातेदार अंहिसा प्रोसेसर्स ऑफ (इकाई) श्री भरका (इण्डिया) लि0 बाजार नम्बर 2 भीलवाड़ा

पत्रावली में वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि ग्राम मुझरास की आराजी संख्या 66/1 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण द्वारा 2 बीघा 13 बिस्वा 11 बिस्वांशी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अवाप्त की गई थी। उक्त अवाप्ति की कार्यवाही का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नामान्तरण संख्या 777 निर्णय दिनांक 27.12.2017 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के नाम अवाप्त भूमि दर्ज हो गई है तथा राजस्व नक्शे में राजस्व जमाबन्दी के अनुरूप तरमीम की जा चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अवाप्त की गई भूमि में प्लेटफॉर्म, बैठक कक्ष एवं दीवार का निर्माण करवाना चाहते है। उक्त निर्माण होने के उपरान्त वादी का उसकी वादग्रस्त खातेदारी भूमि में राष्ट्रीय राजमार्ग से पहुंचना पुर्णतः बंद हो जायेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु किया गया है ना कि प्लेटफॉर्म, बैठक कक्ष एवं दीवार के निर्माण हेतु किया गया है। वादी का यह अधिकार है कि वो अपनी खातेदारी भूमि से राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्बाध रूप से आ जा सके एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 उसके इस अधिकार से उसे वंचित करने पर आमादा है। प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को वादग्रस्त भूमि में वादी के अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु पाबंद किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अवाप्त की गई भूमि ग्राम मुझरास की आराजी संख्या 66/3 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा 11 बिस्वांशी भूमि में किसी प्रकार का प्लेटफॉर्म, बैठक कक्ष एवं दीवार का निर्माण नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

18/6/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सम्बन्धित विधि का अनुशीलन किया गया। वादी द्वारा वादपत्र में शामिल ग्राम मुझारा की आराजी नम्बर 66/1 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादी की खातेदारी भूमि है। ग्राम मुझारा की आराजी नम्बर 66/1 रकबा 8 बीघा 15 बिस्वा में से 2 बीघा 19 बिस्वा 11 बिस्वांशी भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु किया गया है। इस प्रकार वादी के नाम वर्तमान में आराजी नम्बर 66/1रकबा 1.4599 है0 भूमि दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम आराजी नम्बर 66/3 रकबा 0.7530 है0 भूमि दर्ज है। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अवाप्त की गई भूमि में प्रतिवादी क्रम संख्या 2 को किसी प्रकार का निर्माण करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। साथ ही प्रतिवादी क्रम संख्या 1 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अवाप्त की गई भूमि का उपयोग–उपभोग करने का पूर्णतः अधिकार प्राप्त है, परन्तु प्रतिवादी क्रम संख्या 1 वादी को उसकी खातेदारी भूमि पर पहुंचने हेतु आवागमन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। यदि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अवाप्त की गई भूमि में सड़क के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का निर्माण कार्य यथा जो कि अवाप्ति की अधिसूचना में उद्देश्यों के रूप में सम्मिलित हो, किया जाना है तो प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादी को उस संबंध में निश्चित अवधि का नोटिस दिया जाकर अवाप्ति के उद्देश्य की हद तक निर्माण कार्य करने हेतु अधिकार प्राप्त है। वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 व 02 स्वीकार किया जाना प्रथम दृष्टया न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएवं

–: आदेश :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है और प्रतिवादी क्रम संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादी क्रम संख्या 1 द्वारा वादी की खातेदारी भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अवाप्त की गई भूमि में यथा जो कि अवाप्ति की अधिसूचना में उद्देश्यों के रूप में सम्मिलित हो, सड़क निर्माण से अन्य कोई निर्माण कार्य करना आवश्यक होने की स्थिति में वादी को एक निश्चित समयावधि का नोटिस जारी करे तथा वादी की खातेदारी भूमि में राष्ट्रीय राजमार्ग से पहुंचने के मार्ग को बाधित करने का कार्य नहीं करे। साथ ही वादी को स्वयं की खातेदारी भूमि तथा प्रतिवादी क्रम संख्या 1 अवाप्त की गई भूमि की पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान करवाये जाने पर उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। प्रतिवादी संख्या 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वो बिना किसी वैद्य प्राधिकार पत्र के किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे।

निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

18/12/15

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. अहिंसा प्रोसेसर्स ऑफ इकाई श्री भरका इण्डिया प्रा0 लि0 बाजार नम्बर 2 भीलवाड़ा जरिये डायरेक्टर सौरभ कोठारी पुत्र श्री चन्द्र सिंह कोठारी आयु वयस्क

–वादी

बनाम

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रा0 कार्यालय 6 ए 1 आर0सी0व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा जरिये परियोजना निदेशक
2. सद्भाव प्रा0 लि0 कम्पनी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 टोल नाका मुझरास, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 6/2018 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री शोभागमल कुमावत अनुपस्थि – इस वाद में आज तारीख 18.06.2025 को पीठासीन अधिकारी अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है–

प्रतिवादी क्रम संख्या 01 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादी क्रम संख्या 01 द्वारा वादी की खातेदारी भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अवाप्त की गई भूमि में यथा जो कि अवाप्ति की अधिसूचना में उद्दश्यों के रूप में सम्मिलित हो, सड़क निर्माण से अन्य कोई निर्माण कार्य करना आवश्यक होने की स्थिति में वादी को एक निश्चित समयावधि का नोटिस जारी करे तथा वादी की खातेदारी भूमि में राष्ट्रीय राजमार्ग से पहुंचने के मार्ग को बाधित करने का कार्य नहीं करे। साथ ही वादी को स्वयं की खातेदारी भूमि तथा प्रतिवादी क्रम संख्या 01 अवाप्त की गई भूमि की पत्थरगढी एवं सीमाज्ञान करवाये जाने पर उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। प्रतिवादी संख्या 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वो बिना किसी वैद्य प्राधिकार पत्र के किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे।

18/6/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा